206

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखामरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / 　　　　　　　　　　　　दिनांक–

सेवा में,

OSD (R.K)

पत्र
22 JUL 2015
प्राप्ति तिथि

9292
22-7-15

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत जनकपुर रोड
जिला– सीतामढी

महाशय,

नगर पंचायत जनकपुर रोड के वर्ष 2011–12 से 2013–14 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 177 / 15–16 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

–ह0–

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0/ 1451 0/40 　　　　　　　　दिनांक–30.6.15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, सीतामढी

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

नगर पंचायत जनकपुर रोड
निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–177/15–16
(अवधि–2011–12 से 2013–14)

भाग – I

प्रस्तावना

1	निरीक्षित इकाई का नाम	नगर पंचायत जनकपुर रोड
2	परीक्षित लेखा की अवधि	2011–12 सं 2013–14
3	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	अंकेक्षण में जांच किये गये अभिलेखों एवं पंजियों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट– i में दर्शायी गयी है। जिन अभिलेखों एवं पंजियों को अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किया गया था, जो अधूरा संधारित थे या संधारित नहीं थे, को परिशिष्ट– ii में दर्शाया गया है।
4	लेखापरीक्षा की अवधि	19.3.2015 से 25.3.2015
5	प्रशासन	
क.	अध्यक्ष	कार्य अवधि
	श्री मनोज कुमार यादव	1.4.2011 से 31.3.2014
ख.	उपाध्यक्ष	
	श्रीमती नीलम देवी	1.4.2011 से 31.3.2014
ग.	कार्यपालक पदाधिकारी	
	श्री चन्द्रशेखर सिंह	1.4.2011 से 17.4.2011
	श्रीमती मीणा व्यास	18.4.11 से 13.12.11
	श्री अरविन्द मंडल	14.12.11 से 17.2.14
	श्री अखिलेश कुमार सिंह	18.2.14 से 25.2.14
	श्री सुनील कुमार पाण्डेय	26.2.14 से 31.3.14
6	लेखापरीक्षा दल के सदस्य	श्री प्रेम कुमार सिंह,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री रणजीत कुमार कर्ण,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री संजीत कुमार, लेखापरीक्षक श्री सुनील पासवान, लेखापरीक्षक
7	निरीक्षण अधिकारी का नाम	श्री मनोज कुमार, वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी

8	पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	अनेक बार स्मारित करने के बावजूद लेखा परीक्षा के दौरान पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन अंकेक्षण में उपस्थापित नही किया गया, जिसके कारण लंबित कंडिकाओं के निस्तारण की अनुशंसा लेखा परीक्षा दल द्वारा नही की जा सकी। कार्यपालक पदाधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करते हुए सलाह दी जाती है कि पूर्ववर्ती अंकेक्षण की लंबित कंडिकाओं के अनुपालन हेतु शीघ्र प्रभावी कदम उठाए जाएँ।
9	अंकेक्षण टिप्पणी	जिन अंकेक्षण आपत्तियों का निष्पादन निरीक्षण स्थल में नहीं हो सका , उन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है ।
10.	क्या कार्यपालक के साथ आपत्तियों पर चर्चा की गयी	हाँ(25.03.15 को)

11. लेखापरीक्षा परिणाम

1	लेखापरीक्षा के दौरान वसूली गयी राशि	---
2	वसूली हेतु सुझायी गयी राशि	666695
3	अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी गयी राशि	5744302

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट vii पर)

12. बजट

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 82 के अनुसार मुख्य नगरपालिका अधिकारी अगामी वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष बजट का प्राक्कलन तैयार करेगा और ऐसा बजट प्राक्कलन नगर पालिका के आय व्यय का प्राक्कलन होगा ।

वर्ष 2012–13 एवं 13–14 हेतु प्रस्तुत बजट– प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया जिसकी विवरणी निम्न थी –

वर्ष	नगर निकाय द्वारा बजट पारित करने की तिथि	सरकार को प्रेषित की जाने की तिथि
2012–13	29.3.12	03.04.12
2013–14	18.2.13	28.02.13

बजट प्रारूप मे पूर्व वर्ष का वास्तविक आय – व्यय नही दर्शाया गया। साथ ही, बजट प्राक्कलन में नगर पंचायत के स्थापना व्यय , कार्यरत मानव बल, पे, ग्रेड़, नियुक्ति की तिथि आदि नहीं दर्शाया गया।

जवाब मे कहा गया कि बजट तैयार करते समय लेखा परीक्षा टिप्पणी में दर्शायी गयी त्रुटियों को दूर करने का प्रयास किया जायेगा और आवश्यक सूचनायें बजट प्रारूप में समाहित की जाएगी।

13. आय व्यय

नगर पंचायत द्वारा लेखापरीक्षा में प्रस्तुत लेखापाल की रोकड़बही के अनुसार आय–व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :

	2011–12	2012–13	2013–14
1. प्रारम्भिक शेष	11074271.40	17810896.70	24128659.70
2. प्राप्ति			
क. अनुदान	9091551.30	12540702	17803076
ख. बैंक ब्याज	93987	137189	281184
ग. स्वयं स्रोत	835834	891897	1051276
ग. अन्य	92350	253824	67750
3. वर्ष के दौरान कुल प्राप्ति	10113622.30	13823612	19203286
4. कुल प्राप्ति	21187893.70	31634508.70	43331945.70
5. व्यय			
क. योजना	2223750	5690739	4797293
ख. स्थापना	1084471	1433923	1300692
ग. अन्य	68776	381187	121590
कुल व्यय	3376997	7505849	6219575
6. अंतशेष	17810896.70	24128659.70	37112370.70

वित्तीय वर्ष 2010–11 का अंतशेष ₹11074271.40 था परन्तु रोकड़बही में 2011–12 का प्रारम्भिक शेष ₹11346579.40 लिया गया । रोकड़बही की पृष्ठ संख्या 53 पर व्यय पक्ष में ₹4894/– कम जोड़ा गया जबकि पृष्ठ संख्या 55 पर व्यय पक्ष में ₹5258/– की जगह ₹5228/– लिया गया । पृष्ठ संख्या 66 पर आय पक्ष में दर्ज ₹60111/– को कुल योग में शामिल नही किया गया। साथ ही

202

पृष्ठ संख्या 72 पर आय पक्ष में ₹59/– को तथा पृष्ठ संख्या 73 पर व्यय पक्ष में ₹110/– को नहीं जोड़ा गया। इसके कारण रोकड़बही का वर्ष 2011–12 , 12–13 एवं 13–14 का अंतशेष में ₹46111/– का अंतर पाया गया।

रोकड़बही में वर्ष के दौरान कुल प्राप्ति एवं व्यय का मासिक , त्रैमासिक एवं वार्षिक सार तैयार नहीं पाया गया ।

14 बैंक खाता एवं रोकड़बही का अंतशेष

कम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	31.3.2014 को अंतशेष
1	भारतीय स्टेट बैंक	11456663707	2726043.37
2	भारतीय स्टेट बैंक	11456672075	6846769.74
3	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	2190799360	440221
4	इलाहाबाद बैंक	4432	357795
5	कोषागार पासबुक	—	26881551.20
6	कुल		37252380.31
7	रोकड़बही का अंतशेष		37112370.70
8	रोकड़शेष एवं बैंक शेष में अन्तर		140009.61

रोकड़बही में किसी भी वर्ष के अंत में बैंक समाधान विवरणी नहीं तैयार नहीं किया गया था। इसे तैयार कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

दावा अस्वीकरण प्रमाण पत्र
(Disclaimer Certificate)

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, जनकपुर रोड द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराई गई सूचनाओं/ विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। इकाई द्वाराकिसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है ।

भाग – II (क) शून्य

भाग – II (ख)

कंडिका – 1 तेरहवीं वित्त आयोग मद की राशि का विचलन – ₹ 10.10 लाख

तेरहवीं वित्त आयोग की मार्गदर्शिका तथा नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 5/ब0 13वीं वित्त 3–01/10 –95/न0वि0 एवं आ0 वि0 दिनांक 17.08.10 द्वारा तेरहवीं वित्त मद की राशि के उपयोग. हेतु दिए गए दिशा–निर्देश के अनुसार अनुदान राशि का व्यय निम्नवत किया जाना था:–

1. कम से कम 50 प्रतिशत ठोस अवशिष्ठ प्रबंधन
2. पाईप जलापूर्ति व्यवस्था
3. सड़कों में प्रकाश व्यवस्था/विद्युत विपत्र का भुगतान
4. रैन बसेरा/ओल्ड एज होम का निर्माण एवं रख रखाव

रोकड़बही एवं संबंधित अभिश्रवों की नमूना जाँच में पाया गया कि जनकपुर रोड नगर पंचायत द्वारा मार्गदर्शिका एवं दिशा–निर्देश के विपरीत ₹1009902 लाख का व्यय निम्नानुसार किया गया था –

वित्तीय वर्ष	अभिश्रव सं0/दिनांक	राशि (रु.)	व्यय विवरण
2012-13	96/19-3-13	159772	नाला निर्माण
	97/19-3-13	200113	सड़क निर्माण
2013-14	31/29-8-13	150000	सड़क निर्माण
	33/19-9-13	131721	सड़क निर्माण
	60/13-1-14	143954	सड़क निर्माण
	67/5-2-14	15962	सड़क निर्माण
	68/5-2-14	11439	सड़क निर्माण
	71/5-2-14	4512	नाला निर्माण
	72/5-2-14	192429	सड़क निर्माण
कुल		**1009902**	

(२७

नगर पंचायत द्वारा जवाब में बताया गया कि नगर पंचायत बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव के आलोक में तेरहवीं वित्त आयोग की राशि से नाला एवं सड़क निर्माण किया गया।

जवाब मान्य नहीं था क्योंकि मार्गदर्शिका के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया जाना अनियमित था। अतःविचलन की राशि प्रतिपूर्ति किये जाने अथवा सरकार से सक्षम स्वीकृति प्राप्त किये जाने तक वर्णित अनियमित व्यय की कुल राशि ₹1009902 को लेखापरीक्षा आपत्ति के अन्तर्गत रखी जाती है।

कंडिका –2 13वीं वित्त की राशि को अवरूद्ध रखा जाना – ₹39.99 लाख

रोकड़बही, अनुदान पंजी एवं 13वीं वित्त से संबंधित बैंक/ट्रेजरी पासंबुक के अवलोकन में यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2013–14 के दौरान नगर पंचायत जनकपुर रोड को कुल ₹5241374 (जेनरल बेसिक ग्रांट – ₹ 4476374 एवं जेनरल परफॉरमेंस ग्रांट – ₹ 765000) तेरहवें वित्त मद के अन्तर्गत प्राप्त हुए। इस मद से मार्च 2014 तक निम्नानुसार कुल ₹1243443 व्यय किया गया था :–

वित्तीय वर्ष	अभिश्रव सं. /दिनांक	राशि (₹)	व्यय विवरण
2012-13	96/19-3-13	159772	नाला निर्माण
	97/19-3-13	200113	सड़क निर्माण
2013-14	31/29-8-13	150000	सड़क निर्माण
	33/19-9-13	131721	सड़क निर्माण
	60/13-1-14	143954	सड़क निर्माण
	67/5-2-14	15962	सड़क निर्माण
	68/5-2-14	11439	सड़क निर्माण
	71/5-2-14	4512	नाला निर्माण
	72/5-2-14	192429	सड़क निर्माण
	78/12-2-14	233541	डस्टबीन क्रय
कुल		**1243443**	

31 मार्च 2014 को 13वीं वित्त मद के अवशेष राशि ₹3997931 अन्य मदों के लिए संधारित खातों में निम्नानुसार सम्मिलित थी:

कोषागार खाता	:	₹ 2321819
भारतीय स्टेट बैंक (खा.सं. 11456672075):		₹ 1676112
कुल	:	₹3997931

इस प्रकार 31 मार्च 2014 तक उपलब्ध राशि का मात्र 23.72 प्रतिशत ही उपयोग किया गया था जबकि निम्नानुसार कुल ₹ 3997931 अवरूद्ध पड़ा हुआ पाया गया:–

क्र. सं.	बैंक जमा के अनुसार प्राप्ति तिथि	प्राप्त राशि	31.3.14 तक प्रत्येक अनुदान के विरूद्ध कुल व्यय (पहले प्राप्त राशि को पहले व्यय मानते हुए)		अवरूद्ध राशि	राशि को अवरूद्ध रखे जाने की अवधि
			ठोस अवशिष्ठ प्रबंधन पर व्यय	अन्य कार्य पर व्यय (प्राप्ति के 50 प्रतिशत तक अनुमत्य)		
1	28/03/11	500000	233541	250000	16459	3 वर्ष
2	02/06/11	501398	0	250699	250699	2 वर्ष 10 माह
3	22/12/11	600000	0	300000	300000	2 वर्ष 3 माह
4	26/03/12	25000	0	12500	12500	2 वर्ष
5	28/03/12	633000	0	196703	436297	2 वर्ष
6	12/09/12	410000	0	0	410000	1 वर्ष 6 माह
7	10/01/13	669000	0	0	669000	1 वर्ष 2 माह
8	22/03/13	213000	0	0	213000	1 वर्ष
9	10/05/13	870658	0	0	870658	11 माह
10	07/08/13	819318	0	0	819318	8 माह
कुल		5241374	233541	1009902	3997931	

(क) उपलब्ध राशि का काफी कम (23.72 प्रतिशत) उपयोग मार्च 2014 तक किया गया था जिससे योजना का उद्देश्य प्रभावित हुआ एवं आम जन इसके लाभ से वंचित रहे।

(ख) अनुदान के प्रथम किस्त की प्राप्ति के लगभग दो वर्ष पश्चात् तक कोई व्यय नहीं किया गया था।

(ग) 13वीं वित्त मद का मूल उद्देश्य ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त करना था इसलिए इस क्षेत्र में न्यूनतम 50 प्रतिशत या इससे अधिक व्यय करने का प्रावधान किया गया था, जबकि नगर पंचायत द्वारा ठोस अवशिष्ट प्रबंधन पर मात्र 4.46 प्रतिशत ₹ 233541 (डस्टबीन क्रय) का व्यय किया गया था,।

(198

उपर्युक्त बिन्दुओं के जवाब में बताया गया कि 13वीं वित्त की अवशेष राशि के व्यय हेतु बहुत सारी योजनाएं प्रारम्भ की गई है और जल्द ही व्यय के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जायेगा।

उत्तर तर्कसंगत एवं संतोषप्रद नहीं था, समस्त राशि के उपयोग के साथ–साथ ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में उपलब्धि हेतु ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

कंडिका –3 <u>विविध मदों से कार्यान्वित योजनाएं</u>

नगर परिशद जनकपुर रोड के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–14 के दौरान कार्यान्वित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट iii पर संलग्न है। इन योजनाओं में 12 योजनाओं का नमूना जांच किया गया (विस्तृत विवरण परिशिष्ट iv पर)।

नमूना जांच किये गये योजनाओं की स्थिति निम्नानुसार पायी गयी –

(क) नगर पंचायत द्वारा संविदा के अन्तर्गत कार्यान्वित योजनाएं बिहार लोक निर्माण विभाग के लिए लागू नियमों एवं शर्तों के अधीन आती है। बिहार लोक निर्माण तिभाग के संविदा के शर्तों (Schedule XLV-Form61) की कंडिका 2 के प्रावधानों के अनुसार एकरारनामा में सुनिश्चित किये गये कार्य पूर्णता हेतु निर्धारित अवधि के पश्चात प्रत्येक विलम्ब दिवस के लिए प्राक्कलित राशि का 0.5 प्रतिशत से अधिकतम 10 प्रतिशत तक विलम्ब दण्ड़ की कटौती संवेदक के भुगतान में से की जाएगी।

इन योजनाओं की मापी पुस्तिका के अनुसार इन्हें एक माह से ज्यादा विलम्ब से संवेदक द्वारा पूर्ण किया गया जैसा कि संलग्न विवरणी में स्पष्ट है परन्तु किये गये एकरारनामा की शर्तों के अनुरुप इन योजनाओं के कुल प्राक्कलित राशि ₹ 2995851 का 10 प्रतिशत यानि ₹ 299585 की वसूली विलम्ब शुल्क के रुप में संबंधित संवेदकों के भुगतान से नहीं की गयी थी।

जवाब में बताया गया कि विलम्ब शुल्क की वसूली वर्णित कुल बिलम्ब शुल्क की राशि ₹299585 की वसूली संबंधित संवेदकों से अथवा जिम्मेवार व्यक्ति/व्यक्तियों से कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

(ख) इन योजनाओं के वित्तीय संविदा से संबंधित स्वीकृत एवं अस्वीकृत निविदाओं एवं तुलनात्मक विवरण संचिकाओं में नहीं पाया गया जिससे संविदा की पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

जवाब में बताया गया कि ये अभिलेख एक अलग संचिका में उपलब्ध है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उल्लिखित संचिका लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ग) इन योजनाओं के मापी पुस्तकों के अवलोकन से पाया गया कि मिट्टी कार्य के लिए पिट्स मापी किया गया था जबकि मिट्टी एक से तीन किलोमीटर से ट्रैक्टर द्वारा लाया गया था। संविदा कार्यों में सेक्शनल मापी न कर पिट्स मापी किन परिस्थितियों में किया गया, स्पष्ट नहीं था। विदित हो

कि पिट्स मापी विभागीय कार्यों में श्रमिकों को उनके कार्य के अनुसार भुगतान करने के लिए किया जाता है।

जवाब में बताया गया कि संबंधित कनीय अभियंता से पूछा जाएगा। उत्तर संतोशप्रद नहीं है ।

(घ) योजना सं. 6/11–12 (पि.क्षे.अ.नि.) के प्राक्कलन में 200'x4'6"x1' मे मिट्टी कार्य के पश्चात् 4'6" की चौड़ाई में ही ईंट सोलिंग एवं पी.सी.सी. का प्रावधान किया गया था। इसी प्रकार योजना सं. 9/13–14 (चतुर्थ वित्त मद) के मापी पुस्तिका के अनुसार 40'x3'x1' एवं 35'x3'x1' मे मिट्टी कार्य के पश्चात् 3' की चौड़ाई में स्थानीय बालू एवं ईंट सोलिंग कार्य किया गया था।

उपरी सतह पर समान चौड़ाई में कार्य किया जाना अव्यावहारिक था, जवाब में बताया गया कि संबंधित कनीय अभियंता से पूछा जाएगा। उत्तर संतोषप्रद नहीं है।

(ङ) निम्न योजनाओं पर सूचना पट्ट एवं फोटोग्राफी हेतु निम्नानुसार ₹20700 व्यय किया गया था परन्तु संबंधित फोटोग्राफी उपलब्ध नहीं था –

क्र.सं.	याजना सं./मद	व्यय राशि
1	2/11–12 (पि.क्षे.अ.नि.)	1500
2	6/11–12 (पि.क्षे.अ.नि.)	2000
3	4/12–13 (पि.क्षे.अ.नि.)	3000
4	1/11–12 (नागरिक सुविधा)	3000
5	3/11–12 (नागरिक सुविधा)	2000
6	5/11–12 (नागरिक सुविधा)	3000
7	6/11–12 (नागरिक सुविधा)	3000
8	2/13–14 (तेरहवीं वित्त मद)	3200
कुल		20700

जवाब में बताया गया कि संबंधित व्यक्ति से पूछा जाएगा। उत्तर संतोषप्रद नहीं था बिना कार्य के सूचना पट्ट एवं फोटोग्राफ पर कुल व्यय की राशि ₹ 20700 की वसूली संबंधित संवेदकों से अथवा जिम्मेवार व्यक्ति/व्यक्तियों से कर अगले लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय।

(196

(च) नमूना जाँच योजनाओं की विवरणी के क्र.सं. 5, 8 एवं 11 के प्राक्कलन जबकि क्र.सं. 5 का मापी पुस्तिका संचिकाओं में उपलब्ध नहीं था। जबाब में बताया गया कि संबंधित व्यक्ति से पूछा जाएगा, उत्तर संतोषप्रद नहीं है।

उपर्युक्त बिन्दुओं में वर्णित अनियमितताओं के कारण कार्य की गुणवत्ता एवं निष्पादन संदेहास्पद है, इसकी यथोचित जांच कर वस्तुस्थिति से अगले लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय तब तक इन योजनाओं पर वसूली हेतु सुझायी गयी राशि ₹ 320285 के अतिरिक्त शेष भुगतान की राशि ₹ 2466681 को लेखापरीक्षा आपत्ति के अन्तर्गत रखा जाता है।

कंडिका – 4 <u>सैरातों की बन्दोबस्ती नहीं होने से राजस्व हानि : ₹ 2.37लाख</u>

नगर पंचायत जनकपुर रोड के अंतर्गत वर्श 2011–12 के लिए तीन सैरातों यथा व्यावसायिक वाहनों से सेवा शुल्क, सड़क किनारे बालू गिट्टी एवं गुमटी दुकानदारों से टॉल वसूली तथा रिक्शा, ठेला, टायरगाड़ी से रजिस्ट्रेशन शुल्क की बन्दोबस्ती हेतु नगर पंचायत के पत्रांक 55 दिनांक 3.3.2011 द्वारा प्रभात खबर मुजफ्फरपुर/पटना से अनुरोध किया गया था । परन्तु न तो समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित हुआ न ही सैरातों की बन्दोबस्ती की गयी । नगर पंचायत द्वारा ज्ञापांक 73 दिनांक 30.3.2011 द्वारा श्री लालधारी प्रसाद, प्रभारी तहसिलदार को दिनांक 1.4.2011 से 31.3.2012 तक विभागीय वसूली का आदेश दिया गया। लेखापाल की रोकड़बही के अनुसार विभागीय वसूली से श्री प्रसाद द्वारा वर्ष 2011 –12 में मात्र ₹79100 /– जमा किया गया । व्यवसायिक वाहनों से सेवा शुल्क की बन्दोबस्ती हेतु सुरक्षित जमा राशि ₹250000/– , सड़क किनारे बालू गिटटी एवं गुमटी दुकानदारों से टॉल वसूली के लिए सुरक्षित जमा ₹30000/– एवं रिक्शा, ठेला, टायरगाड़ी से रजिस्ट्रेशन शुल्क की बन्दोबस्ती हेतु सुरक्षित जमा राशि ₹3000/– निर्धारित की गयी थी । यदि बन्दोबस्ती की गयी होती तो कम से कम सुरक्षित जमा राशि ₹283000/– (250000+30000+3000) की प्राप्ति नगर पंचायत को होती परन्तु बन्दोबस्ती नहीं होने तथा विभागीय वसूली से मात्र ₹79100/– की ही प्राप्ति होने के कारण नगर पंचायत को कम से कम ₹203900/–(283000-79100) की राजस्व हानि हुई।

विभागीय वसूली से इतनी कम राशि प्राप्त होने के संबंध में नगर पंचायत द्वारा त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक अथवा वार्षिक समीक्षा भी नहीं की गयी जिससे स्पष्ट है कि आय बढ़ाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया ।

वर्ष 2012–13 के लिए सड़क किनारे बालू गिट्टी एवं गुमटी दुकानदारों से टॉल वसूली तथा रिक्शा ठेला टायरगाड़ी से रजिस्ट्रेशन शुल्क की न तो विभागीय वसूली की गयी न ही बन्दोबस्ती की

कार्रवाई की गयी जिसके कारण कम से कम ₹33000/– (पिछले वर्ष की सुरक्षित जमा राशि) की राजस्व हानि हुई ।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि अपरिहार्य कारणवश समाचार पत्र मे 2011–12 के लिए बन्दोबस्ती की सूचना प्रकाशित नही की जा सकी। श्री लालधारी प्रसाद द्वारा वर्ष 2011–12 मे केवल व्यावसायिक वाहनों से प्रवेश शुल्क / सेवा शुल्क के रूप पे ₹79100 की वसूली की गयी। सड़क किनारे बालू, गिट्टी एवं गुमटी दुकानदारो से टौल वसूली नही की जा सकी। विभागीय वसूली मे अधिक राशि प्राप्त करने हेतु कोई समीक्षा नही की जा सकी। पूर्व निर्धारित तिथिगो मे डाक नही हो सका। सड़क किनारे बालू, गिटटी, एवं गुमटी दुकानदारों से टौल वसूली एवं रिक्शा ठेला, टायरगाडी से रजिस्ट्रेशन शुल्क की वसूली के संबंध मे निर्णय नहीं लिये जाने के कारण विभागीय वसूली से संबंधित कार्यालय आदेश जारी नही किया जा सका। वाहनों के प्रवेश शुल्क से संबंधित व्यापक दिशा निर्देश कार्यालय मे उपलब्ध नही रहने के कारण नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 5605 दिनांक 14.12.2007 पर विचार नहीं किया जा सका। रिक्शा, ठेला, टायर गाड़ी से रजिस्ट्रेशन शुल्क की वसूली हेतु शीघ्र ही वार्ड की बैठक मे प्रस्ताव रखा जाएगा ।

वर्ष 2011–12 के लिए बन्दोबस्ती नहीं होने के कारण हुई राज़स्व हानि ₹203900/– एवं वर्ष 2012–13 के लिए बंदोबस्ती नहीं होने के कारण हुई राजस्व हानि ₹33000/– , कुल ₹ 236900/– की वसूली संबंधित जिम्मेवार व्यक्ति से की जाय ।

कंडिका –5 <u>बन्दोबस्ती में मुद्रांक शुल्क नहीं लिये जाने से राजस्व हानि : ₹ 42000/–</u>

वर्ष 2013–14 के लिए चार सैरातों यथा झझिहट बैरियर, बाजार समिति बैरियर, मलंग स्थान बैरियर एवं प्रखण्ड पुपरी के पास बैरियर की बंदोबस्ती सर्वाधिक बोली लगाने वाले श्री राजकुमार शर्मा को ₹1400000/– में बन्दोबस्ती दी गयी । मुख्य सचिव, बिहार सरकार के पत्रांक 1920/नि0मु0स0 दिनांक 14.08.02 एवं सचिव– सह– निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना के पत्रांक 549 दिनांक 15.03.2005 के अनुसार बस पड़ाव, हाट बाजार, घाट, जलकर, मेला स्थल, बालू घाट, दुकान, होल्डिंग, मार्केटिंग की बंदोबस्ती यदि एक वर्ष या इससे कम की अवधि के लिए की जाती है तो बंदोबस्ती करने से पूर्व बंदोबस्ती की राशि पर 3% की दर से देय मुद्रांक शुल्क के रूप में बंदोबस्ती करने वालों से लेकर उसी पर बंदोबस्ती की शर्ते लिखकर निर्गत की जानी चाहिए। श्री शर्मा से एकरारनामा तो किया गया परन्तु एकरारनामा की राशि का 3 प्रतिशत अर्थात् ₹42000/– स्टाम्प शुल्क के रूप में श्री शर्मा से नहीं लिया गया जिसके कारण सरकार को ₹42000/– की राजस्व हानि हुई ।

जवाब में बताया गया कि भूलवश मुद्रांक शुल्क के रूप मे ₹42000/– बन्दोबस्तधारी से नही लिया जा सका। इसकी प्राप्ति के लिए कार्रवाई की जाएगी ।

(104

अतः रू42000/– की वसूली संबंधित बन्दोबस्तधारी/जिम्मेदार व्यक्ति से की जाय ।

कंडिका – 6 कम जमा / नहीं जमा

क, गृहकर एवं अन्य करों की वसूली से संबंधित एच रसीद एवं विविध रसीद की जाँच के कम में पाया गया कि कुछ संग्रहकर्ताओं द्वारा वसूली गयी पूरी रांशि नगर पंचायत निधि में जमा नहीं की गयी, विवरण इस प्रकार है :

कम संख्या	संग्रहकर्ता का नाम	वसूली गयी राशि	जमा की गयी राशि	कम जमा/नहीं जमा राशि	अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में जमा की गयी राशि
1	श्री राजेन्द्र साह	254	124	130	—
2	श्रीराम कुमार चौधरी	20960	—	20960	—
	कुल	21214	124	21090	—

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट v पर)

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि राशि नगर पंचायत में जमा करवा दी जाएगी ।

अतः ₹ 21090/– संबंधित कर संग्रहकर्ताओं से वसूल कर अविलम्ब नगर पंचायत निधि में जमा कर लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाय ।

कंडिका – 7 निर्धारित वसूलनीय गृहकर की राशि से कम वसूली किया जाना

गृह कर वसूली से संबंधित एच–रसीद के अवलोकन में पाया गया कि कर संग्रहकर्ता श्री राजेन्द्र साह द्वारा गृह स्वामी से वसूली योग्य राशि से ₹ 440/–कम वसूली गयी । विवरण निम्न प्रकार है :

कम सं0	रसीद सं0 / दिनांक	मकान टैक्स	लैट्रिन टैक्स	शिक्षा उपकर	स्वास्थ्य उपकर	कुल वसूलनीय राशि	गृहस्वामी से वसूली गयी राशि	कम वसूली गयी राशि
1	601 / 8.5. 2013	1267.20	633.6.	316.80	316.80	2534.40	2134.40	400
2	683 / 12.11. 2013	540	270	135	135	1080	1040	40
						3614.40	3174.40	440

जवाब में बताया गया कि गृहस्वामी से ₹440 / – वसूल कर नगर पंचायत कोष में जमा कर दिया जाएगा ।

अतः ₹440 / – संबंधित कर संग्रहकर्ताओं से वसूल कर अविलम्ब नगर पंचायत निधि में जमा कर लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाय ।

कंडिका –8 संवेदक को अधिक भुगतान : ₹1000 / –

1. योजना संख्या : 5 / 2011–12
2. मद : पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि
3. योजना का नाम : वार्ड नं0 –4 में अलदेव राय के घर से गंगा सिंह के घर तक मिट्टी सह ईंट सोलिंग
4. प्राक्कलित राशि : ₹172322 / –
5. मापीपुस्त की राशि : 174561 / –
6. संवेदक को किया गया भुगतान : ₹173322 सभी कटौती सहित
7. संवेदक का नाम : श्री नवीन कुमार ठाकुर

संवेदक द्वारा प्राक्कलित राशि ₹172322 / – के विरूद्ध ₹174561 / – का कार्य किया गया और नगर पंचायत द्वारा प्राक्कलित राशि से लिमिट करते हुए ₹172322 / – की स्वीकृति दी गयी ।

192

संवेदक से किए गए कटौती का विवरण निम्न प्रकार है :

सुरक्षित जमा राशि	17232/– यह राशि दिनांक 19.3.2013 को संवेदक को लौटा दी गयी ।
आयकर	3722/–
वाणिज्यकर	6892/–
रॉयल्टी	410/–
	28256/–

संवेदक को ₹145066/–का भुगतान दिनांक 28.12.2011 को चेक संख्या 033609/28.12.2011 द्वारा रू17232/– का भुगतान चेक संख्या 033619/ 19.3.2013 द्वारा किया गया ।

इस प्रकार कुल भुगतान ₹173322/– का भुगतान किया गया जबकि ₹172322/– का ही भुगतान किया जाना था । इस प्रकार ₹1000/– का अधिक भुगतान किया गया ।

लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में बताया गया कि लिपिकीय भूलवश ₹1000/– का अधिक भुगतान किया गया है जिसे संबंधित संवेदक से वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा कर दिया जाएगा ।

अतः ₹1000/– की वसूली कर नगर पंचायत निधि में जमा करवाया जाय ।

कंडिका –9 श्रम उपकर की कटौती नहीं : ₹ 55980/–

नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2011–12 से 2013–14 के दौरान विभिन्न योजना मदों यथा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, तेरहवीं वित्त आयोग, नागरिक सुविधा, मैचिंग ग्राण्ट एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत कुल 29 योजनाएँ पूर्ण की गयी जिस पर कुल ₹5597989/– का व्यय हुआ। विवरण निम्न प्रकार है :

क्रम संख्या	योजना मद	पूर्ण योजनाओं की संख्या	कुल व्यय
1	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	09	1036497
2	तेरहवीं वित्त आयोग	08	1841934
3	नागरिक सुविधा	07	1988549

4	मैचिंग ग्राण्ट	01	172078
5	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	04	558931
	कुल		5597989

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट vii पर)

सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेश के अनुसार निर्माण कार्य के कुल लागत का 01 प्रतिशत श्रम उपकर के रूप में संवेदक के विपत्र से कटौती कर संयुक्त श्रमायुक्त सह सचिव, बिहार एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड, श्रम संसाधन विभाग, विकास भवन, पटना को भेजा जाना था परन्तु नगर पंचायत द्वारा श्रम उपकर के मद में कोई कटौती किए बिना ही संवेदक को भुगतान कर दिया गया।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि योजनाओं के प्राक्कलन में श्रम उपकर का प्रावधान नहीं किया गया । इस संबंध में संबंधित कनीय अभियंता/ सहायक अभियंता से पत्राचार किया जाएगा । श्रम सेस की कुल राशि ₹55980/– सभी संबंधित संवेदकों से वसूल कर सरकार के उचित शीर्ष में जमा कर दिया जाएगा ।

अतः ₹55980/– संबंधित संवेदकों / जिम्मेवार व्यक्ति से वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा करवाया जाय।

कंडिका –10 एस जे एस आर वाई अंतर्गत संदिग्ध प्रशिक्षण पर व्यय दर्शाई गई राशि : 11.21 लाख

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनांतर्गत बी. पी. एल. परिवार के युवक/युवतियों को विभिन्न ट्रेडों में कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु वर्श 2012–13 में तीन संस्थाओं यथा इन्डक्ट्स कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जनकल्याण समिति एवं मानव सेवा श्रम को कुल ₹1121100/– का भुगतान किया गया। भुगतान का विवरण निम्नलिखित है :

क्रम सं	संस्था का नाम	राशि	चेक संख्या /तिथि
1	इन्डक्ट्स कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	261000	809827/31.1.13
2	जनकल्याण समिति	213000	809828/31.1.13
3	मानव सेवा श्रम	647100	809829/31.1.13
	कुल	1121100	

उपर्युक्त तीनों संस्थाओं को नगर पंचायत के ज्ञापांक संख्या 323 दिनांक 3.10.2012 द्वारा कार्यादेश जारी किया गया था। कार्यादेश में प्रशिक्षण की अवधि का उल्लेख नहीं था फिर भी भुगतान विपत्र के अनुसार कम्प्यूटर कोर्स, ब्यूटिशियन, फैशन डिजायन, लैब टेकनीशियन के कोर्स की अवधि 6 माह, बी.पी ओ एवं मल्टी मिडिया कोर्स की अवधि 4 माह तथा ड्राइविंग, स्पोकन इंग्लिश, सिक्यूरिटीगार्ड , एच.सी. नर्सिंग कोर्स की अवधि 3 माह थी।

तीनों संस्थाओं के साथ नगर पंचायत द्वारा किए गए एकरारनामा के अनुसार संस्था को प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणपत्र देना था। प्रशिक्षण के उपरांत कम से कम 30 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थी को राजगार मुहैया कराना था तथा प्रशिक्षणार्थियों की प्रगति की समीक्षा के आधार पर संस्था को मासिक रूप से प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान किया जाना था। परन्तु किसी भी प्रशिक्षणार्थी को रोजगार दिलाने संबंधित कोई साक्ष्य नहीं पाया गया। संचिका में न तो प्रशिक्षणार्थियों की सूची पायी गयी न ही प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के उपरांत प्रमाणपत्र देने का साक्ष्य पाया गया । कार्यादेश जारी करने के दो वर्ष बाद भी प्रशिक्षण पूरा हुआ अथवा नहीं , यह स्पष्ट नहीं हो सका। इसके कारण एकरारनामा के अनुसार प्रशिक्षण दिए जाने पर संदेह उत्पन्न होता है ।

प्रशिक्षण की अवधि 3 महीना, 4 महीना एवं 6 महीना थी । भुगतान विपत्र कार्यादेश जारी करने के मात्र 3 महीने बाद ही तैयार किया गया था। सभी ट्रेडों में प्रशिक्षण कार्य पूरा हुआ अथवा नहीं, यह सुनिश्चित किए बिना ही प्रशिक्षण पर संभावित व्यय से संबंधित विपत्र को स्वीकार करते हुए विपत्र की राशि का 30 प्रतिशत भुगतान कर दिया गया

तीनों संस्थाओं के विपत्र की कुल राशि ₹3737000/– के विरूद्ध मात्र ₹1121100/– का ही भुगतान किया गया। नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 1113 दिनांक 31.10.2012 द्वारा एस. जे एस. आर. वाई. अतर्गत विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण देने के लिए पांच घटकों में व्यय करने हेतु 30.00 लाख का आवंटन नगर पंचायत, जनकपुर रोड को प्राप्त हुआ । नगर पंचायत द्वारा दिनांक 18.12.14 को हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाणपत्र के अनुसार ₹1881380/– नगर पंचायत में अवरूद्ध थी। लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के उपरांत प्रमाणपत्र दिए जाने के संबंध में संस्था से पत्राचार किया जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों की सूची प्राप्त नहीं हुई है, इसे प्राप्त कर लिया जाएगा। सभी ट्रेडों में प्रशिक्षण कार्य पूरा होने की विभागीय जांच करने के बाद ही संस्थाओं को अंतिम भुगतान किया जाएगा । आवंटन की उपलब्ध राशि को ध्यान में रखते हुए 30 प्रतिशत का भुगतान किया गया। संस्थाओं द्वारा कितने प्रशिक्षणार्थियो को रोजगार मुहैया कराया गया, इसकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पत्राचार किया जाएगा। संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षाणार्थियों की सूची प्रशिक्षण के उपरांत प्रमाणपत्र देने तथा सरकार द्वारा जारी सभी दिशा–निर्देशों का अनुपालन करने के

बाद ही शेष राशि का भुगतान किया जाएगा। राशि के व्यय करने अथवा विभाग को लौटाये जाने के संबध में सरकार से दिशा–निर्देश प्राप्त करने हेतु पत्र लिखा जाएगा ।

उपर्युक्त तथ्यों एवं नगर पंचायत द्वारा दिए गए उत्तर से स्पष्ट है कि सरकार द्वारा दिए गए दिशा–निर्देश का अनुपालन करते हुए प्रशिक्षण का कार्य भलिभांति पूरा होना संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः इसकी सक्षम प्राधिकारी से जॉच करायी जाय और जाँच प्रतिवेदन लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित किया जाए। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने तक तक तीनों संस्थाओं को भुगतान की गयी कुल राशि ₹ 1121100/– अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है ।

(ख) एस. जे. एस. आर. वाई. अंतर्गत प्रशिक्षण पर व्यय : ₹1.87 लाख

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2011–12 में पूजा कम्प्यूटर्स , पुपरी को दिनांक 13.11.11 को ₹75000/– एवं दिनांक 7.12.2011 को ₹112000/– कुल ₹187000/– कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु दिया गया था। परन्तु प्रशिक्षण से संबंधित संचिका एवं अभिश्रव बार–बार अनुरोध करने के बावजूद लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके कारण भुगतान करने का उद्देश्य प्रशिक्षण पूर्ण कराने एवं उससे संबंधित अन्य तथ्यों की जाँच नहीं की जा सकी।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि वांछित संचिका एवं अभिश्रव तत्काल नहीं मिल रहा है। इसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जाएगा ।

अतः संस्था को किए गए भुगतान के औचित्य की सक्षम प्राधिकारी से जाँच कराकर लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित किये जाने तक ₹187000/– अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है ।

ग. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना अन्तर्गत प्राप्त राशि का अवरूद्ध होना

सरकार के पंत्राक 1113/31.10.2012 के द्वारा नगर पंचायत जनकपुर रोड़ को स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना अन्तर्गत बी.पी.एल परिवार के युवक युवतियो को विभिन्न ट्रेड मे प्रशिक्षण देने के लिए पाँच घटकों मे व्यय करने हेतु प्राप्त राशि ₹ 30 लाख प्राप्त हुआ। आंवटित राशि का व्यय अनिवार्य रूप से पाँचों घटक में किया जाना था ।

STEPUP	40 %
USEP	20 %
UWSP	20 %
UWEP	10 %
UCDN	10 %

(188

प्राप्त कुल आवटंन में से वर्ष 2012–13 में विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण हेतु तीन संस्थाओ को कुल ₹ 11,21,100 ही व्यय किया गया जो कुल आवटंन का मात्र 37.37 प्रतिशत है। तथा शेष ₹ 18,18,380 (₹ 2480 पूर्व का अवशेष) अव तक अव्यवहृत तथा अवरूद्व पड़ा था ।

जवाब में कहा गया कि अव्यवहृत राशि का उपयोग संबंधित संस्था से आवश्यक कागजात प्राप्त करने के बाद किया जाएगा।

कंडिका –11 शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि सरकार के शीर्ष में जमा नहीं ₹ 5.60लाख

1. नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2011–12 से 2013–14 के दौरान शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर के रूप में रू622124/– की वसूली की गयी । विवरण निम्न प्रकार है :

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	शिक्षा उपकर	स्वास्थ्य उपकर
1	2011–12	103498	103498
2	2012–13	130927	130927
3	2013–14	76637	76637
	योग	311062	311062
	10 प्रतिशत वसूली प्रभार	31106	31106
	सरकारी शीर्ष में जमा योग्य राशि	279956	279956

सरकार के निर्देशानुसार शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर के अंतर्गत वसूली गयी राशि का 10 प्रतिशत वसूली प्रभार काटकर 90 प्रतिशत राशि राज्य सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा करना था द्वारा परन्तु नगर पंचायत द्वारा राशि जमा नहीं की गयी ।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि ₹559912/– सरकार के शीर्ष में जमा कर दिया जाएगा ।

अतः कुल राशि ₹ 559912/– सरकार के शीर्ष में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय ।

कंडिका –12 संविदा पर नियुक्त कर्मियों पर व्यय : ₹2.61 लाख

वर्ष 2012–13 एवं 13–14 के दौरान संविदा पर कार्यरत श्री योगन्द्र प्रसाद, अवकाश प्राप्त प्रधान सहायक, श्री राजेन्द्र साह, अवकाश प्राप्त टैक्स दरोगा एवं कार्तिक कुमार वर्मा, टैक्स दरोगा सह अमीन को कुल ₹261000/– का भुगतान किया गया। संविदा पर नियुक्ति हेतु न तो विज्ञापन निकाला गया न ही कोई निर्धारित प्रकिया अपनायी गयी। साथ ही संविदा पर नियुक्ति से संबंधित कोई संचिका ही लेखापरीक्षा में दिखायी गयी ।

लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में बताया गया कि बोर्ड के निर्णय के आलोक में संविदा कर्मचारियों के मानदेय निर्धारित किया गया। विज्ञापन नहीं निकाला गया था। कर्मियों को कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रखा गया।

सरकार से अनुमति प्राप्त कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय । तब तक ₹261000/– को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है ।

कंडिका –13 दैनिक वेतन भोगी कर्मियों पर अप्राधिकृत व्यय : ₹6.99 लाख

सरकार द्वारा समय समय पर दैनिक वेतन भोगी मजदूरों की नियुक्ति पर रोक लगाने संबंधी निर्देश जारी किये जाते रहे हैं । फिर भी नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2011–12 से 2013–14 के दौरान सफाई कर्मी, आदेशपाल एवं ट्रैक्टर ड्राइवर को दैनिक मजदूरी पर रखा गया गया जिसकी मजदूरी भुगतान पर ₹698619/– का व्यय किया गया। इस संबंध में सरकार से अनुमति भी नहीं ली गयी।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को रखा गया। सरकार से इस संबंध में अनुमति लेने की कार्रवाई की जाएगी।

सरकार से कार्योत्तर प्रभाव अनुमति प्राप्त कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय। तब तक ₹698619/– को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

कंडिका –14 आयकर वैट एवं रॉयल्टी की राशि सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा नही

क. वर्ष 2011–12 से 2013–14 के दौरान विभिन्न मदों यथा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, तेरहवीं वित आयोग, नागरिक सुविधा, मैंचिग ग्राण्ट एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत चलाई गयी योजनाओं में संवेदक से आयकर के मद में ₹ 128486/– की कटौती की गयी परन्तु यह राशि आयकर विभाग में जमा नही की गई थी। लेखापरीक्षा में प्रस्तुत संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि आयकर विभाग से TAN प्राप्त करने हेतु जुलाई 2012 मे आवेदन किया गया था जिसके आलोक में